न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज.)

पीठासीन अधिकारी का नाम :–हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 156/2019

1 जगराजसिह पुत्र ठाकरसिंह जाति जटसिख साकिन अमरगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

2 गुरतेजसिंह पुत्र पुत्र ठाकरसिंह जाति जटसिख साकिन अमरगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

3 नायबसिह पुत्र पुत्र ठाकरसिंह जाति जटसिख साकिन अमरगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

4 समराजसिह पुत्र पुत्र ठाकरसिंह जाति जटसिख साकिन अमरगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

5 सुखविन्द्रसिंह पुत्र पुत्र ठाकरसिंह जाति जटसिख साकिन अमरगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

प्रार्थीगण

बनाम

1 बलकरणसिहं पुत्र धनतरसिंह जाति जटसिख साकिन अमरगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज.।

2 जगसीरसिंह पुत्र धनतरसिंह जाति जटसिख साकिन अमरगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज.।

3 गुरमेलसिह पुत्र मोदनसिंह जाति जटसिख साकिन अमरगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज.।

4 गुरदेवसिह पुत्र दलीपसिंह जाति जटसिख साकिन अमरगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज.।

5 हरनेकसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति जटसिख साकिन अमरगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज.।

6 मिठुसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति जटसिख साकिन अमरगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज.।

7 तीतरसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति जटसिख साकिन अमरगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज.।

8 स्टेट आफॅ राजस्थान जरिये तहसीलदार 'राजस्व' सादुलशहर।

–अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर

26/2/2020

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251'ए'आर टी ए।

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री राजेन्द्र डाल (प्राथीगण)

2 श्री राकेश सिहाग (अप्रार्थीगण 3,5,6)

निर्णय

तारीख 26.02.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के नाम चक 4 के.आर.डब्ल्यु. के खाता सं. 7/4 में मु. न. 67 के किला न. 11सालम, मु.न. 68 के किला न. 6, 15 ता 17, 24,25 में 1.518है. नहरी आराजी, मु.न. 77 के किला न. 5 सालम, मु.न. 33 के किला न. 1,2, 9 ता 12, 19 ता 22 मे 2.530है. नहरी आराजी, मु.न. 34 के किला न. 1 व 2, 9 ता 12, 19 व 20 में 2.024है. नहरी आराजी, कुल 6.578है. नहरी आराजी ब.हि.ब.खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 4 के.आर.डब्ल्यु. के खाता सं. 104/100 के मु.न. 67 के किला न. 19 ता 23 मे 1.265है. नहरी मय गैर मुमकिन आराजी, मु. न. 78 के किला न. 2 में 0.126है. नहरी, मु.न. 79 के किला न. 12 व 13 सालम कुल 1. 897है. नहरी मय गैर मुमकिन आराजी अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड है। एवं अप्रार्थी सं. 3 ता 8 के नाम इसी चक के खाता सं. 104/100 के मु.न. 70 के किला न. 22 में 0.065है., मु.न. 75 के किला न. 2 में 0.127है., व मु.न. 78 के किला न. 1 सालम, किला न. 2 में 0.127है., किला न. 09 ता 12 सालम कुल 1.583है. नहरी ब.हि.ब. आराजी राजस्व रिकार्ड दर्ज कागजात है। अप्रार्थी सं. 3 के पिता मोदनसिंह व अप्रार्थी सं. 4 ता 6 ने स्वयं ने प्रार्थीगण के साथ दिनांक 4.7.2011 को एक घरेलु तबादलानामा इस आशय का किया था कि प्रार्थीगण ने चक 4 के.आर.डब्ल्यु. के प.न. 102/133 मु.न. 68 के किला न. 6,15,16,25 कुल 4 बिस्वा भुमि अप्रार्थीगण को खाला के लिए छोड़ दी एवं इस भुमि के बदले में अप्रार्थीगण ने चक 4 के.आर.डब्ल्यु. के प.न. 103/134 मु.न. 78 के किला न. 1 व 2 में 2–2 बिस्वा यानि कुल 4 बिस्वा भुमि प्रार्थीगण को उनके रकबा में आने जाने हेतु रास्ता के लिए छोड़ दी थी। दिनांक 04.07.2011 को प्रार्थीगण के लिए रास्ता चालु कर दिया था। मुताबिक तहरीर स्टाम्प किमती 100/रूपयें प्रार्थीगण किला न. 1 व 2 के दक्षिण दिशा में 2–2 बिस्वा रास्ता से अपनी मु.न. 67, 68,77 की कृषि भुमि मे उक्त रास्ता से आवागमन कर रहे है। प्रार्थीगण द्वारा छोड़ी गई भुमि मे अप्रार्थीगण के लिए सिंचाई हेतु खाला आज भी चल रहा है। तबादला नामा की शर्तो के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक दुसरे के लिए छोड़े गए 4–4 बिस्वा भुमि का उपयोग व उपभोग कर रहे है। तबादला नामा की फोटो प्रति सलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण चक 4 के.आर.डब्ल्यु. के खाता सं. 113/110 के मु.न. 78 के किला न. 3,8,13,18 मे 0.013है. रास्ता उत्तर से दक्षिण दिशा में स्वीकृत शुदा रास्ता से होकर किला न. 1व 2 में घरू तौर पर तबादला मे लिए गए रास्ता से अपने रकबा मे कृषि करने के लिए आ जा रहे है। चुंकि मु. न. 78 किला न. 18 सड़क आम संगरिया सादुलशहर लगती है। प्रार्थीगण को अपने रकबा व ढाणी मे आने जाने के लिए और कोई विकल्प के तौर पर रास्ता नही है। जमाबन्दी खाता सं. 113/110 सलग्न प्रार्थना पत्र है।

बरवक्त तबादला नामा दिनाक 4.7.2011 मु.न. 78 का किला न. 1व 2 संयुक्त खाता में अप्रार्थी सं. 01 के पिता मोदनसिंह के नाम से दर्ज था। दिनांक 23.05. 2017 को सहखातेदारो के साथ विभाजन होने के कारण उक्त रकबा मे अप्रार्थी सं. 03 गुरमेल सिह का नाम दर्ज हुआ है। इसलिए मोदन सिह के स्थान पर गुरमेल सिह को

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned by CamScanner

पक्षकार बनाया गया हैं। तबादला नामा में अप्रार्थी सं. 03 के पिता मोदन सिंह के हस्ताक्षर हैं। अप्रार्थी सं. 07 तीतरसिह की तबादला के वक्त किला न. 1 व 2 में कब्जा काश्त नही थी और आज भी अप्रार्थी सं. 7 की कब्जा काश्त नही है। इस वजह से अप्रार्थी सं. 7 के हस्ताक्षर नही हैं।

प्रार्थीगण ने अपने रकबा मु.न. 68 के किला न. 6,15,16,25 मे तबादलानामा के अनुसार चल रही आड़ का राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवाने के लिए सहमति दे दी है। अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दायरी के दो रोज पुर्व दिनांक 18.08.2019 को प्रार्थीगण ने कहा कि आप भी तबादला नामा की शर्तो के अनुसार मु. न. 78 के किला न. 1 व 2 मे दक्षिण दिशा मे पुर्व से पश्चिम चल रहे 2–2 बिस्वा रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाने की सहमति दे देवे तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि हम किला न. 1 व 2 मे से चल रहे रास्ता को हल चलाकर काश्त करेगें और आपको यहा से नही आने जाने देगे। अप्रार्थीगण ने स्पष्ट रूप से रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड मे करवाने से इंकार कर दिया। बस यही बिनाय प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थीगण के पास प्रार्थना पत्र हाजा के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक उपचार उपल्बध नही है। अप्रार्थीगण किसी प्रकार की क्षति पुर्ति रास्ता की भुमि एवज मे प्राप्त करने के अधिकारी नही है,चूंकि प्रार्थीगण की खातेदारी भुमि मे से अप्रार्थीगण के रकबा की सिचांई के लिए खाला प्रार्थीगण ने 4 बिस्वा भुमि मे दे रखा है, जो आज भी चल रहा है। प्रार्थीगण आज भी तबादलानामा की शर्तो अक्षरशः पालना कर रहे है। अगर अप्रार्थीगण मौका पर चल रहे रास्ता को व्यवधान पैदा करके बंद कर देते है, तो प्रार्थीगण को अपुर्णनीय क्षति होगी। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला बनता है एवं सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थी को अपनी आराजी मे आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के रकबा चक 4 के.आर.डब्ल्यु. के खाता सं. 104/100 के प.न. 103/134 मु.न. 78 के किला न. 1 व 2 की दक्षिण दिशा मे पुर्व से पश्चिम मे 2–2 बिस्वा यानि कुल 4 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 3,5,6 की ओर से श्री राकेश सिहाग, एडवोकेट ने दिनांक 11.09.2019 को पेश किया। शामिल मिशल किया गया। अप्रार्थी सं. 3,5,6 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जिसमें अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के कथन को सिरे से खारिज करते हुए अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित किया कि प्रार्थीगण कभी भी मु.न. 78 के किला नं. 1 व 2 मे से कभी आते जाते नही है तथाकथित तबादलानामा में कभी भी कोई रास्ता नही छोड़ा गया न ही हमने कभी प्रार्थीगण से खाला रास्ता के बदले में प्राप्त किया है। प्रार्थीगण ने वैकल्पिक तौर पर रास्ता की मांग की है। प्रार्थीगण के रकबा को चारों तरफ से रास्ता उपलब्ध है, सुविधा के लिए रास्ता की मांग कर रहे है।

प्रकरण में तहसीलदार सादुलशहर के जरिये मौका रिपोर्ट तलब की गई। उभयपक्षकारान को सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 13.11.2019 को धारा 151 सी पी सी एतराजत की कि मौका रिपोर्ट नियम 69 के अनुसरण में पेश नही हुई है। मौका रिपोर्ट हल्का गिरदावर से मंगवाई जावें। प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अप्रार्थीगण को सुना गया जिन्होने प्रार्थना पत्र 151 सी पी सी खारिज किए जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र 151 सी पी सी स्वीकार किया जाकर मौका रिपोर्ट पुनः तलब की गई।

मौका रिपोर्ट हल्का गिरदावर द्वारा मौका पर निरीक्षण कर दिनांक 23.12.2019 को तैयार की गई। प्रार्थना पत्र पर बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किए

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

जाने का निवेदन किया। बहस प्रार्थीगण में निवेदन किया कि प्रशनगत रास्ता दिनांक 4.7.2011 से मुताबिक तबादलानामा चल रहा है। प्रार्थीगण के रकबा के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ता स्वैच्छापुर्वक छोड़ा था। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि मे से जो कि चक 4 के.आर.डब्ल्यु. के खाता सं. 104/100 के प.न. 103/134 मु.न. 78 के किला न. 1 व 2 की दक्षिण दिशा मे पुर्व से पश्चिम मे 2–2 बिस्वा यानि कुल 4 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे तथा प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को रास्ता में आने वाली 4 बिस्वा भूमि की डी एल सी दर की दुगुनी राशि अदा करने को तैयार है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस अपने जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें, चूंकि प्रार्थीगण को अपने रकबा मे जाने के लिए पहले से ही कई रास्ते उपलब्ध है, यह रास्ता प्रार्थीगण ने सुविधा के तौर पर चाहा है।

हमने उभयपक्षकारान की बहस के तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से परीक्षण किया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य पाया जाता है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

कियात्मक आदेश

तहसीलदार राजस्व को आदेशित किया जाता है कि चक 4 के.आर.डब्ल्यु. के खाता सं. 104/100 के प.न. 103/134 मु.न. 78 के किला न. 1 व 2 की दक्षिण दिशा मे पुर्व से पश्चिम मे 2–2 बिस्वा यानि कुल 4 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा प्रचलित डी एल सी दर की दुगुनी राशि अप्रार्थीगण के नाम राजकोष में जमा होने पर राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार रास्ता गैर मुमकिन दर्ज हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.2.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.16 17:24:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: